निविदा सूचना

नगर पंचायत ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्राप्त अनुदान धनराशि से विद्युत सामाग्री एवं उपकरण (सोलर लाईट) को क्रय किये जाने हेतु इच्छुक, अधिकृत डीलर/फर्मो से टू–विड, निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

अतः इच्छुक अधिकृत डीलर/फर्म, निविदा प्रपत्रों को नियत निविदा मूल्य को नकद अदा कर निविदा प्रकाशन तिथि से दिनांक 29.08.2026, समय 1:00 बजे तक कार्यालय दिवस/कार्यसमय में कार्यालय नगर पंचायत ऊखीमठ से क्रय किये जा सकते है। निविदाओं को दिनांक 29.08.2026 को अपरान्ह 2:00 बजे तक कार्यालय में उपलब्ध निविदा बॉक्स में डाले जा सकते हैं। प्राप्त निविदाऐं, निविदा समिति नगर पंचायत ऊखीमठ के द्वारा (अपरिहार्य परिस्थितियों को छोडकर) उसी दिन अपराहन 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। सशर्त,अपूर्ण,बिलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निविदा समिति न0पं0 ऊखीमठ में निहित है। निविदा की अन्य नियम/शर्ते किसी भी कार्यदिवस/समय अथवा नगर पंचायत ऊखीमठ की वेबसाइट www.npukhimath.in पर देखी जा सकती हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम विवरण	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	निविदा की वैधता
1	सोलर स्ट्रीट लाइट कम्पलीट सेट सोलर बल्ब 15, वॉट स्थापना सहित।	30000.00	1000.00 + जी0एस0टी0	31 मार्च 2027

(सुनील वर्मा)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत, ऊखीमठ

(कुब्जा धर्मवाण)
अध्यक्ष
नगर पंचायत ऊखीमठ

।। कार्यालय,नगर पंचायत,ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग) ।।

पत्रांक 258 /न0पं0 /विद्युत–सामाग्री/2026–27 दिनांक 12 अगस्त 2026।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु सादर प्रेषित :–

1 – जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग।
2 – प्रभारी /संवाददाता अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना का प्रकाशन अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में न्यूनतम स्पेस में शासकीय दरो पर प्रकाशित करवाकर जिला सूचना अधिकारी से प्रमाणित करवाकर बिल के साथ समाचार पत्र की 03–03 प्रतियां सहितभुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत करना चाहें।
3 – अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 ऊखीमठ को निविदा कार्यवाही में भाग लेने हेतु ।
4– उपकोषाधिकारी, कोषागार ऊखीमठ, को निविदा कार्यवाही में भाग लेने हेतु ।
5– कार्यालय नोटिस बोर्ड।
6– सम्बन्धित पत्रावली।

(सुनील वर्मा)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत,ऊखीमठ।

Received
12/08/2026

निविदा की शर्तो :—

1— यह कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति अधिनियिम 2025 के अनुसार निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि रू0 30000. हजार की एफ0डी0आर0, सी0डी0आर, डाकघर बचत पासबुक, एन0एस0सी0 अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग के पदनाम से बंधक कर अनिवार्य रूप से देना होगी।

2— यह कि निर्माता कम्पली या फर्म/डीलर द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले स्ट्रीट लाईट उपकरणों की आपूर्ति निर्धारित अवधि के अन्दर नगर पंचायत ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग के कार्यालय स्टोर में करनी होगी। स्थानीय स्तर पर यदि किसी अधिकृत विक्रेता/व्यक्ति को कम्पनी द्वारा अधिकृत किया जाता है तो स्पष्ट रूप से कम्पनी के पैड पर अधिकृत एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अधिकार पत्र ही अनुमन्य माना जायेगा।

3— यह कि निर्माता कम्पनी या निर्माता कम्पनी द्वारा अधिकृत डीलर/फर्म का प्रमाण पत्र जो कम्पनी के अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

4— निविदादाता द्वारा कम्पनी का भारतीय मानक संख्या आई0एस0 10322 (पार्ट—5/सैक्शन 3) 2012 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5— यह कि निविदा प्रपत्र में अपना नाम, पता, व्यापार करने का स्थान, टेलीफोन न0, ईमेल का विवरण अंकित करना आवश्यक होगा।

6— यह कि सशर्त एवं ओवर राईटिंग/कटिंग वाली निविदाए स्वीकार नहीं होगी।

7— यह कि किसी एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/निविदा समिति नगर पचांयत ऊखीमठ को होगा।

8— यह कि निविदा प्रपत्र नगर पंचायत ऊखीमठ रूद्रप्रयाग के कार्यालय से स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही क्रय किया जायेगा। अधिकृत प्रतिनिधि का प्रमाण पत्र लगवाया जाना अनिवार्य है।

9— यह कि प्रत्येक कोटेड दर हेतु सामाग्री की स्पेसिफिकेशन/विशिष्टियों का विवरण निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराया जाना होगा तथा ऊर्जा बचत वाले उपकरण/फिक्सर को प्राथमिकता दी जायेगी।

10— यह कि आपूर्तिकर्ता कम्पनी या फर्म/डीलर को सामाग्री की आपूर्ति करने के पश्चात उसकी गुणवत्ता की जांच/परीक्षण किये जाने पर नियमानुसार धन की उपलब्धता होने पर भुगतान किया जायेगा।

11— यह कि निर्माता कम्पनी या फर्म/डीलर की न्यूनतम निविदा दर स्वीकृत होने के पश्चात निर्धारित स्टाम्प पेपर 3 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर नगर पंचायत ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग के साथ अनुबन्ध करना होंगा।

12— यह कि निर्माता कम्पनी या फर्म/डीलर को आयकर एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ देनें होंगें।

13— यह कि निर्माता कम्पनी या डीलर/फर्म को विगत 2 वित्तीय वर्ष (2024—25, एवं 2025—26) के आयकर रिर्टन की प्रति निविदा के साथ देने होंगें।

14— यह कि एल0ई0डी0 लाईट निविदा के साथ निर्माता कम्पनी का विगत 02 वर्ष का टर्नओवर होने का प्रमाण पत्र जो कि सी0ए0 द्वारा प्रमाणित किया गया हो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15— यह कि निर्माता कम्पनी या फर्म/डीलर द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न निकायों एवं अन्य विभागों में आपूर्ति किये गये स्ट्रीट लाईट उपकरणों के विगत 02 वर्ष (2024—25, एवं 2025—26) के आपूर्ति आदेश या अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ देने होगें।

16— यह कि निर्माता कम्पनी या फर्म/डीलर को रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियन स्टॉम्प पेपर पर रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षरयुक्त निविदा के साथ देना होगा, नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर उत्तराखण्ड राज्य का ही मान्य होगा।

17— यह कि आपूर्तिकर्ता को कम्पनी/फर्म को इस आशय का शपथ—पत्र रूपये 10.00 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि किसी सरकारी विभाग/अर्द्वसरकारी विभाग द्वारा उसे विगत 05 सालों से ब्लैकलिस्टेड न किया गया हो।

18— निविदा प्रपत्र मूल रूप से नगर पंचायत ऊखीमठ रूद्रप्रयाग के कार्यालय से क्रय किया गया ही मान्य होगा।

19— यह कि निर्माता कम्पनी या फर्म/डीलर द्वारा आपूर्ति आदेश की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर सामाग्री/उपकरणों की आपूर्ति नगर पंचायत ऊखीमठ स्टोर में करनी होगी अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद उपकरण/सामाग्री के मूल्य की धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा, जिसकी कटौती ब्रिल से की जायेगी।

20– यह कि निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित होनी चाहिए, यदि सामाग्री का कोई पार्ट, ज्वांइटवेंचर के अन्तर्गत किसी अन्य संस्था तथा इम्पोर्ट किया जाता है तो इसका उल्लेख सामाग्री/उपकरणों की स्पेसिफिकेशन में दिया जाना होगा।

21– यह कि निविदा में दी जाने वाली दरों के साथ केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सभी कर (आयकर एवं जी0एस0टी0) का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

22– यह कि वित्तीय निविदा में सामाग्री की दरों को समस्त कर सहित अंको व शब्दों दोनों में पठनीय व स्पष्ट रूप से लिखा जायें।

23– यह कि तकनीकि बिड व वित्तीय विड अलग–अलग लिफाफों में रखी जानी होगी, उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखना होगा, उसमें आवेदित सामाग्री के नाम सहित प्रस्तुत किया जाना होगा। तकनीकि बिड के लिफाफे पर तकनीकि बिड लिखा जाना अनिवार्य होगा, तथा वित्तीय बिड के लिफाफों में वित्तीय बिड लिखा जाना अनिवार्य है।

24– यह कि निविदादाता व नगर पंचायत ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग के मध्य विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जनपद रूद्रप्रयाग होगा।

25– यह कि आपूर्ति की जाने वाली सामाग्री/उपकरणों की संख्या में घटोतरी व बढोतरी/निविदा स्थगन/निरस्त/परिवर्तन हो सकती है, तथा इस हेतु किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

26– यह कि निर्माता कम्पनी या फर्म/डीलर को सामाग्री/उपकरणों की आपूर्ति निर्धारित मानक व स्पेसिफिकेशन के अनुसार करनी होगी, अन्यथा यदि सामाग्री मानक व स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्व भारतीय दण्ड सहिंता में दिऐ गये प्राविधानों के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

27– यह कि विद्युत पोल एवं हाईमास्क पोल मय वायरिंग फिक्सिंग के कार्य हेतु निदेशक, विद्युत सुरक्षा उत्तराखण्ड द्वारा पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र मात्र विद्युत पोल व हाईमास्क पोल मय वायरिंग सहित फिक्सिंग कार्य करने वाले फर्म/ठेकेदार/डीलर को ही देना होगा।

28– यह कि निर्माता कम्पनी/निविदादाताओं की ओर से आपूर्ति किये जाने वाले उपकरणों के गांरटी या वारंटी प्रमाण पत्र निविदा के साथ देने होंगे। जिसमें सूचना प्राप्ति के एक हफ्ते के अंदर नगर पंचायत ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग के स्टोर में आकर लाइट ठीक करान होगा एक हफ्ते के पश्चात रू0 100 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड वसूला जाएगा जिसकी वसूली निविदादाता द्वारा जमा धरोहर राशि से काटी जाएगी।

29– यह कि यदि आपूर्ति की गयी सामाग्री/उपकरण स्ट्रीट लाईट पोलों पर लगाने के बाद वारंटी अवधि या किसी तकनीकि खराबी के कारण खराब/जल जातें है तो उन उपकरणों के रिप्लेसमेंट निर्माता कम्पनी या फर्म/डीलर द्वारा किया जाना होगा।

30– यह कि उपरोक्त शर्तो का विचलन करने पर नियमानुसार निर्माता कम्पनी या फर्म/डीलर के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी, जिस पर होने वाला व्यय या क्षति की वसूली सम्बन्धित से भू–राजस्व की भांती करने हेतु वसूली प्रमाण पत्र (आर0सी0) जारी कर दी जायेगी।

31– यह कि आपूर्तिकर्ता कि धरोहर धनराशि लाईट की वॉरन्टी अवधि समय सीमा समाप्त होने के बाद ही अवमुक्त कि जाएगी।

32– क्रय वरीयता नीति 2014 के अन्तर्गत, राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) में पंजीकृत होना आवश्यक है।

घोषणा पत्र

मैने/हमने उपरोक्त सभी शर्ते एवं आवश्यक सूचनायें जो निविदा पत्र के साथ प्राप्त हुइ हैं को भंली प्रकार से पढकर समझ ली हैं। मुझे/हमें सभी शर्ते स्वीकार हैं एवं वर्णित शर्तो/निर्देशों का पालन करने हेतु सहमत है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर–
निविदा दाता का नाम पता सहित–
मोबाईल न0–